Government of Western Australia
Mental Health Commission

ईसीटी कब दी जा सकती है उस पर प्रतिबंध हैं। ये हैं:

- किसी 14 वर्ष से कम उम्र वाले को ईसीटी नहीं दी जा सकती।
- एक स्वैच्छिक रोगी बच्चे को (14-17 वर्ष) उनकी सहमति या यदि वे अवगत सहमति देने में असमर्थ हैं, तो उनके माता-पिता या अभिभावक की सहमति से ईसीटी प्रदान की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण(मेन्टल हेल्थ ट्रिब्यूनल) का अनुमोदन भी आवश्यक है।
- वयस्क स्वैच्छिक रोगियों (18 साल और उससे ऊपर) को उनकी सहमति के साथ ईसीटी प्रदान की जा सकती है, या यदि वे अवगत सहमति देने में असमर्थ हैं तो जिसे रोगी की ओर से निर्णय लेने की अनुमति है जैसे कि अभिभावक, की सहमति से दी जा सकती है।
- अनैच्छिक रोगियों को ईसीटी केवल मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण के अनुमोदन पर ही दी जा सकती है।

जहां ईसीटी के लिए मानसिक स्वास्थ्य ट्रिब्यूनल के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, आपका मनोचिकित्सक ट्रिब्यूनल को लिखित रूप में आवेदन करेगा और ट्रिब्यूनल आपके मामले की समीक्षा करेगा।

यदि आप एक वयस्क अनैच्छिक रोगी हैं और आपके जीवन को बचाने के लिए या आपको स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुँचाने से रोकना आवश्यक है, तो ईसीटी के लिए ट्रिब्यूनल की स्वीकृति आवश्यक नहीं। हालांकि, इस मामले में मुख्य मनोचिकित्सक को ईसीटी को स्वीकृति देनी पड़ेगी।

अतिरिक्त जानकारी

इस विवरणिका में दी गई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है। अधिनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखित पुस्तिकाओं के सेट में संक्षेप से दी गई है:

- जाँच के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाना
- भर्ती रोगी (इनपेशेंट) उपचार आदेश
- सामुदायिक उपचार आदेश
- स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी
- मानसिक बीमारी का इलाज कराना
- निजी सहायक व्यक्तियों के लिए जानकारी
- नामित व्यक्ति: नामांकन कैसे किया जाए और इसका क्या मतलब है।

अन्य विवरणिकाएं:

- द मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल
- द मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस
- द मेन्टल हैल्थ लॉ सर्विस से उपलब्ध हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 और अन्य संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आयोग (मेन्टल हैल्थ कमीशन) की वेबसाइट www.mhc.wa.gov.au पर जाएँ या (08) 6272 1200 पर फ़ोन करें।

This document can be made available in other languages and alternative formats on request.

Published by the Mental Health Commission (2015)

मानसिक बीमारी का इलाज कराना

यह विवरणिका आपको जानकारी प्रदान करती है कि आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या आशा कर सकते हैं यदि आप एक मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे हैं।

इलाज क्या है?

आप एक मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जो इलाज प्राप्त कर सकते हैं वह 'मानसिक रोगों का इलाज' है जिसमें दवा, बिजली के झटकों से चिकित्सा (इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी), मानसिक रोगों का आपातकालीन इलाज और अन्य स्वास्थ्य देखभाल शामिल की जा सकती है ।

रोगी होने के नाते आपको सबसे अच्छा संभव उपचार प्राप्त करने का अधिकार है और आपके मनोचिकित्सक और दल के अन्य सदस्य आपके साथ उपचार के विकल्पों के बारे में बात करेंगे। आपको अपने इलाज, समर्थन और छुट्टी की योजना के विकास में शामिल किया जाएगा, और आपकी सहमति (समझौते) की हमेशा मांग की जाएगी।

क्या आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आपका इलाज किया जा सकता है?

यदि आप एक स्वैच्छिक रोगी हैं तो किसी भी मानसिक रोग का इलाज आपकी अवगत सहमति के बिना (या जो कोई आपकी ओर से निर्णय कर सकते हैं उनकी अवगत सहमति के बिना - जैसे कि अभिभावक) नहीं प्रदान किया जा सकता। अवगत सहमति का मतलब है कि आपको वह सारी जानकारी दी गई है जिसे आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है, और आप इलाज कराने के लिए सहमत होने के अपने निर्णय को पूरी तरह से समझते हैं।

यदि आपका जीवन बचाने या आपको अपने आप को या दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मानसिक रोग का उपचार आवश्यक है, तो यह आपकी बिना सहमति के किया जा सकता है। इसे मानसिक रोग का आपातकालीन इलाज कहा जाता है।

यदि आप एक अनैच्छिक रोगी हैं (जो इनपेशेंट उपचार आदेश या सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन है) तो मानसिक रोग का इलाज आपकी सहमति के बिना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए पूछा जाना चाहिए।

यदि आप अपने इलाज से असंतुष्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं?

आपको अपने उपचार दल से बात और आपके पास क्या विकल्प हैं उन पर चर्चा शुरू करनी चाहिए।

यदि आप एक स्वैच्छिक रोगी हैं तो अपने निर्णय स्वयं कर सकते हैं कि आप कौन से उपचार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप एक अन्य मनोचिकित्सक से दूसरी राय लेने के लिए पूछ सकते हैं यदि इससे आपको यह निर्णय करने में सहायता मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हैं।

यदि आप एक अनैच्छिक रोगी हैं तो आप अपने मनोचिकित्सक या मुख्य मनोचिकित्सक से एक और राय लेने की व्यवस्था करने के लिए पूछ सकते हैं। स्वतंत्र मनोचिकित्सक आप की जांच करेगा और लिखित रूप में अपनी राय प्रदान करेगा। आपके मनोचिकित्सक को इसे ध्यान में रखना होगा, लेकिन वे अतिरिक्त राय का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है।

एक और राय प्राप्त करने के बाद आप अपने मनोचिकित्सक या मुख्य मनोचिकित्सक से अतिरिक्त राय की व्यवस्था करने के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

यदि आप अभी भी असंतुष्ट हैं, तो आप मुख्य मनोचिकित्सक से अपने मामले पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। मुख्य मनोचिकित्सक उपचार के बारे में फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हो सकता है आपके मनोचिकित्सक से पूछे या न पूछे।

डॉक्टरी इलाज (आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए)

जिस समय आप एक रोगी हैं तब किसी भी आवश्यक चिकित्सीय उपचार के लिए सहमति दे सकते हैं। यदि आप सहमति देने में असमर्थ हैं तो कोई भी जिसे आपकी ओर से निर्णय लेने की अनुमति है, आपके लिए सहमति दे सकता है। यदि आप अस्पताल में एक अनैच्छिक रोगी हैं और तत्काल चिकित्सा उपचार की ज़रूरत है, तो आपके चिकित्सक को आप का इलाज करने के लिए स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं हालांकि उन्हें बाद में मुख्य मनोचिकित्सक को सूचित करना होगा।

यदि आप अस्पताल में एक अनैच्छिक रोगी हैं तो आपको एक दूसरे अस्पताल जाने और वहां इलाज पाने के लिए छुट्टी दी जा सकती है। जब आप छुट्टी पर होते हैं तब भी आप अनैच्छिक रोगी ही होते हैं और आपको अपनी उपचार योजना का पालन करना होगा और छुट्टी समाप्त होते ही वापस लौटना पड़ेगा।

बिजली के झटकों से इलाज (इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी) (ईसीटी)

ईसीटी अनेक मानसिक बीमारियों का इलाज है। यदि आपकी दवा से आपकी हालत में सुधार नहीं हुआ है या आपकी बीमारी बहुत गंभीर है तो आपके मनोचिकित्सक आप के लिए ईसीटी की सिफ़ारिश कर सकते हैं।